पुलिस स्टेशन में होने पर आपके अधिकार

बच्चों और किशोरों के लिए एक गाइड

यह पर्चा इस बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि पुलिस स्टेशन में होने पर आपके क्या-क्या अधिकार होते हैं। अधिकार वे आज़ादियाँ और समर्थन हैं जो हम सभी के पास हैं और जो कानून द्वारा संरक्षित हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पास वयस्कों से थोड़े अलग अधिकार होते हैं, इसलिए यह पर्चा समझाता है कि आपके पास क्या-क्या अधिकार हैं।

अपने अधिकारों को जानने और समझने से आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि आपके साथ उचित व्यवहार हो रहा है या नहीं। पुलिस की यह ड्यूटी है कि जब आप पुलिस स्टेशन में हों तो वह आपको नुकसान से बचाए और आपकी खुशहाली की देखभाल करे, तब भी अगर उसके पास यह सुबूत हो जो यह संकेत देता हो कि आपने नुकसान पहुँचाने वाला कोई काम किया हो सकता है।

कृपया यह पर्चा जल्द-से-जल्द पढ़ें। इससे आपको पुलिस स्टेशन में होने पर फ़ैसले लेने में मदद मिलेगी। आपको यह पर्चा देने वाला व्यक्ति इसे पढ़ने और समझने में आपकी मदद करने की पेशकश करेगा। वह यह भी पूछेगा कि क्या आपको इस पर्चे का कोई अलग संस्करण चाहिए, जैसे वह संस्करण जो किसी दूसरी भाषा में हो या जिसे पढ़ना आसान हो।

CYCJ
Children and Young People's Centre for Justice
STARR
Safer Scotland
Scottish Government

1. **आपको यह जानने का अधिकार है कि पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में क्यों रोककर रख रही है।**

2. **आपको यह जानने का अधिकार है कि पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में क्यों लाई है।**

3. अगर आपको अपने नाम, पते, जन्म-तिथि और राष्ट्रीयता की जानकारी है तो आपको पुलिस को ये जानकारी देनी होगी। केवल यही वे सवाल हैं जिनका जवाब देना अनिवार्य है। **आपके पास दूसरे और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने का अधिकार है।**

4. **आपके पास किसी को यह बताने का अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन में हैं।** पुलिस आपसे पूछेगी कि क्या आप किसी व्यक्ति को बताना चाहेंगे कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। वह व्यक्ति आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका साथी, आपका देखभालकर्ता, आपका कोई दोस्त, या आपका कोई भी परिचित हो सकता है। हो सकता है कि आपको उनसे बात करने की अनुमति न हो। अगर आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है या आप पर कोई अनिवार्य सुपरविज़न आदेश लागू है तो आपके पास पुलिस स्टेशन में अपने साथ किसी को रखने का अधिकार है। आपके पास यह अधिकार है कि आपके माता-पिता या संरक्षक पुलिस स्टेशन में आपसे मुलाकात कर सकते हैं।

5. **आपके पास किसी वकील को यह बताने का अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन में हैं।** पुलिस आपसे पूछेगी कि क्या आप किसी वकील को बताना चाहेंगे कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। वह वकील आपका खुद का वकील या ऑन-कॉल वकील हो सकता है या आपके लिए किसी दूसरे वकील का इंतिज़ाम किया जाएगा। यह सुविधा मुफ़्त है।

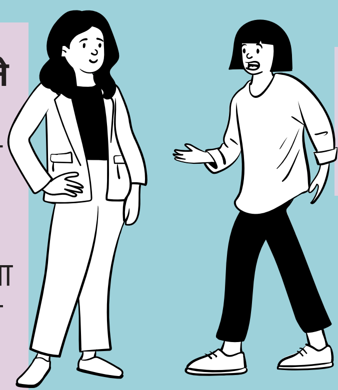

6. **आपके पास किसी भी समय एकांत में वकील से बात करने का अधिकार है।** यह सुविधा मुफ़्त है।

7. **आपके पास यह अधिकार है कि अगर पुलिस आपका इंटरव्यू लेती है तो आपके साथ आपका वकील मौजूद हो।** यह सुविधा मुफ़्त है।

8. **अगर आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है, तो जब पुलिस आपका इंटरव्यू ले तब एक वकील का मौजूद होना ज़रूरी है, पर तब नहीं जब ऐसा करने से कोई जोखिम में पड़ सकता हो।** अगर आपकी उम्र 16 या 17 वर्ष है और आप पर कोई अनिवार्य सुपरविज़न आदेश लागू है, तो जब पुलिस आपका इंटरव्यू ले तब एक वकील का मौजूद होना ज़रूरी है, पर तब नहीं जब कोई अपवादस्वरूप परिस्थिति हो।

9. **अगर आप बीमार या चोटिल हैं तो आपके पास मेडिकल मदद पाने का अधिकार है। इसमें आपकी दिमागी सेहत के लिए मदद शामिल है।** पुलिस स्टेशन में होने के दौरान आपकी ठीक से देखभाल हो यह पक्का करने में मदद के लिए पुलिस आपसे आपकी सेहत और खुशहाली के बारे में आपसे सवाल पूछेगी। अगर आप किसी ऐसी मेडिकल स्थिति से ग्रस्त हैं जो पुलिस स्टेशन में होने पर आपको प्रभावित कर सकती है तो यह ज़रूरी है कि आप पुलिस को उसके बारे में बता दें। पुलिस किसी नर्स या डॉक्टर से आप पर नज़र रखने को कह सकती है। ऐसा यह पक्का करने में मदद के लिए है कि पुलिस स्टेशन में होने के दौरान आपकी ठीक से देखभाल हो। पुलिस को आपसे पूछना चाहिए कि क्या आप किसी डॉक्टर, नर्स, या किसी दूसरे स्वास्थ्य पेशेवर से बात करना चाहते हैं।

10. **आपके पास भोजन और पेय का अधिकार है।** आपको पानी दिया जाएगा। अगर आप पुलिस स्टेशन में चार घंटों से अधिक समय से हैं तो आपको भोजन दिया जाएगा। पुलिस को आपसे जल्द-से-जल्द पूछना चाहिए कि आपकी कुछ विशेष खाने की ज़रूरत है या नहीं।

CYCJ Children and Young People's Centre for Justice

STARR

Safer Scotland Scottish Government

और मार्गदर्शन...

अगर आपको और मदद चाहिए हो

हो सकता है कि आपको यह समझने में मदद की ज़रूरत पड़े कि आपके पुलिस स्टेशन में होने के दौरान क्या हो रहा है। अगर आपकी उम्र 16 या उससे अधिक है, तो यह मदद किसी प्रशिक्षित सहायता कर्मी से मिल सकती है जिसे एप्रोप्रिएट अडल्ट (उपयुक्त वयस्क) कहते हैं। अगर आप सीखने से जुड़ी किसी अशक्तता या दिमागी सेहत से जुड़ी किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो यह मदद ज़रूरी हो सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि आपको किसी एप्रोप्रिएट अडल्ट (उपयुक्त वयस्क) की मदद की ज़रूरत है तो वह ऐसे व्यक्ति का इंतिज़ाम करेगी, अगर आप न कहें तो भी।

आपकी मदद के लिए दुभाषिये की सुविधा

यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस स्टेशन में जो कुछ कहा जा रहा है आप उसे समझ सकते हों। अगर आप अंग्रेज़ी बोलते या समझते नहीं हैं, तो पुलिस आपकी मदद के लिए आपकी ही भाषा बोलने वाले किसी व्यक्ति का इंतिज़ाम करेगी। ऐसे व्यक्ति को दुभाषिया कहते हैं। यह सुविधा मुफ़्त है।

संवाद में मदद पाना

बहुत से लोगों को यह समझने में मुश्किल होती है कि पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। पुलिस को आपसे पूछना चाहिए कि क्या आपको मदद चाहिए या कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे आप समझ न पा रहे हों। अगर आपको पढ़ने में मदद की ज़रूरत हो तो पुलिस को आपको मदद देनी चाहिए। अगर आप सुन नहीं सकते या आपको साफ-साफ बातचीत करने में मुश्किल होती है, तो पुलिस आपकी मदद के लिए किसी व्यक्ति का इंतिज़ाम करेगी। यह व्यक्ति कोई BSL दुभाषिया या कोई दूसरा उपयुक्त पेशेवर हो सकता है। यह सुविधा मुफ़्त है।

अगर आप ब्रिटिश नहीं हैं

अगर आप ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं, तो पुलिस को आपके हाई कमीशन (उच्चायोग), एंबेसी (दूतावास), या कॉन्सुलेट (वाणिज्य दूतावास) से संपर्क करके उन्हें यह बताने की पेशकश करनी चाहिए कि आप कहाँ हैं और आप पुलिस स्टेशन में क्यों हैं। इसके बाद कोई व्यक्ति आपसे एकांत में मुलाकात कर सकता है और आपके लिए वकील से मुलाकात का इंतिज़ाम कर सकता है।

अगर आप पर कोई आरोप लगा है या आपको किसी वॉरंट पर पुलिस स्टेशन लाया गया है तो क्या होता है?

अगर आप पर किसी अपराध का आरोप लगा है, तो हो सकता है कि आपको जाने की अनुमति दी जाए या हो सकता है कि आपको पुलिस स्टेशन में रखा जाए और अगले कार्यकारी दिन आपको अदालत ले जाया जाए। अगर आपको किसी वॉरंट पर पुलिस स्टेशन लाया गया है, तो आपको रोककर रखा जा सकता है और अगले कार्यकारी दिन अदालत ले जाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में आपको घर जाने की अनुमति दी जा सकती है।

आपको कब तक हिरासत में रखा जा सकता है?

पुलिस आप पर किसी अपराध का आरोप लगाए बिना आपको अधिकतम 12 घंटों तक हिरासत में रख सकती है। पुलिस इस अवधि को अधिकतम 24 घंटों तक बढ़ा सकती है, पर केवल तब अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऐसा करने पर सहमति दे। आपके पास इस फ़ैसले के बारे में अपनी राय ज़ाहिर करने का अधिकार है, या आप यह विकल्प चुन सकते हैं कि आपकी ओर से आपका वकील पुलिस से बात करे।

कागज़ात देखना

अगर आपका केस अदालत में जाता है तो केस में सुबूत का नोट आपको या आपके वकील को दिया जाएगा। इससे आप या आपके वकील आपके बचाव की तैयारी कर सकेंगे। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं तो आपके पास इस जानकारी का, या कम-से-कम, महत्वपूर्ण कागज़ात के ज़रूरी हिस्सों का अनुवाद किए जाने का अधिकार है।

CYCJ Children and Young People's Centre for Justice

STARR

Safer Scotland Scottish Government

और मार्गदर्शन...

वकील से संपर्क के अधिकार के बारे में जानकारी

- पुलिस आपसे पूछेगी कि क्या आप किसी वकील से बात करना चाहते हैं। पुलिस जल्द-से-जल्द आपके लिए किसी वकील से संपर्क करेगी।
- आपको किसी भी समय एकांत में वकील से बात करने की अनुमति है। यह बात टेलीफोन पर हो सकती है, या वह पुलिस स्टेशन आकर आपसे मुलाकात कर सकता है।
- वकील से बात करना आम बात है, और इससे ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ गलत किया है।
- वकील का काम आपके अधिकारों की रक्षा करना और कानून के बारे में आपको सलाह देना है।
- आप अपने किसी परिचित वकील से बात करने का विकल्प चुन सकते हैं या आपसे बात करने के लिए पुलिस किसी वकील का इंतिज़ाम कर सकती है – इस वकील को ऑन-कॉल वकील कहा जाता है। ऑन-कॉल वकील स्वतंत्र होता है और वह पुलिस के लिए काम नहीं करता है।
- अगर पुलिस आपका इंटरव्यू लेती है, तो वह आपसे पूछेगी कि क्या आप चाहेंगे कि इस दौरान कमरे में आपके साथ कोई वकील हो।
- अगर आपने यह माँग की है कि कमरे में आपके साथ कोई वकील हो तो पुलिस को वकील के बिना आपका इंटरव्यू लेने की अनुमति आम तौर पर नहीं होती है।
- आप वकील से बात करने का अपना फ़ैसला बदल सकते हैं और किसी भी समय वकील की माँग कर सकते हैं। जल्द-से-जल्द पुलिस को बताएँ और वह आपके लिए वकील से संपर्क करेगी।
- अगर वकील अपने बताए समय पर पुलिस स्टेशन नहीं आता है, या आप वकील से दोबारा बात करना चाहते हैं, तो आप पुलिस से उससे दोबारा संपर्क करने को कह सकते हैं। वकील से संपर्क किए जाने के बाद वह पुलिस स्टेशन कब पहुँचेगा इस बारे में पुलिस कोई राय नहीं दे सकती है। अगर आप चाहें तो पुलिस आपके विचारों और इच्छाओं के बारे में उस वकील को बता सकती है।

आपका शिकायत करने का अधिकार

- आपके पास पुलिस द्वारा आपसे किए गए व्यवहार के बारे में शिकायत करने का अधिकार है।
- अगर आप स्कॉटलैंड पुलिस की शिकायत करते हैं तो इससे आप बुरे नहीं बन जाएँगे।
- आप हिरासत में होने के दौरान शिकायत कर सकते हैं।
- अगर आप हिरासत में होने के दौरान शिकायत करना चाहते हैं, तो किसी इंस्पेक्टर से या उससे ऊँची रैंक के किसी अधिकारी से बात करने की माँग करें।
- अगर आप रिहा होने के बाद शिकायत करना चाहते हैं, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं।
- अगर आपकी गिरफ़्तारी के दौरान या आपके पुलिस हिरासत में होने के दौरान किसी पुलिस अधिकारी ने आपको नुकसान पहुँचाया या चोट पहुँचाई है तो आपको पुलिस स्कॉटलैंड प्रोफ़ेशनल स्टैंडड्र्स डिपार्टमेंट (स्कॉटलैंड पुलिस पेशेवर मानक विभाग) से शिकायत करनी चाहिए।
- शिकायत करने के लिए 101 पर कॉल करें या अपने इलाके के पुलिस स्टेशन जाएँ।
- आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी आपकी ओर से शिकायत करने को कह सकते हैं। वह व्यक्ति माता या पिता, कोई दोस्त, साथी या कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है। आपको उन्हें आपकी लिखित अनुमति देनी होगी।

सुरक्षित देखभाल के अनुभव वाले लोगों के लिए स्कॉटलैंड के एकमात्र विशेषज्ञ स्थान STARR के सदस्यों ने, बाल एवं किशोर न्याय केंद्र (चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल्स सेंटर फ़ॉर जस्टिस, CYCJ) और स्कॉटलैंड सरकार के साथ मिलकर यह पर्चा तैयार किया है। 'आपका शिकायत करने का अधिकार', पीपल फ़र्स्ट स्कॉटलैंड से लिया गया है।

और जानकारी व सहयोग के लिए **justtherightspace.org** पर आएँ

© Crown copyright 2023

Children and Young People's Centre for Justice

STARR

Safer Scotland
Scottish Government